

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: ३/४) / 14-10 दिनांक: अलीगढ़, मार्च २५, २०१८

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

Proposed forest land diversion of protected forest for strengthening and widening of NH 91 (Aligarh to Kanpur section) from chainage 186.000 km to 229.000 km having extent 65.495 ha. with removal of 4,940 trees & 858 plants total 5,798 numbers-reg.

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक ८बी/य०पी०/०६/१२/२०१८/एफ०सी०/१८६ दिनांक ०१.०३.२०१८ एवं आपका पत्र संख्या २५७४/एटा-एन०एच०-९१)/ २२३७४/२०१७ दिनांक ०६.०३.२०१८

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा इंगिल आपत्तियों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन निराकरण कर आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्र संख्या २०८४/१४-१ दिनांक २४.०३.२०१८ द्वारा प्रेषित की गयी है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्र संख्या २०८४/१४-१ दिनांक २४.०३.२०१८ से प्राप्त आख्या के आधार पर निम्नप्रकार आपत्तियों का निराकरण किया जाता है।

Sl. No.	Comments	Reply
1	Three proposals FP/ UP/ROAD/24596/2017, FP/UP/ROAD/23288/2016 and FP/UP/ ROAD/22374/2016 appears to be part of widening of National Highway 91 and total extent of diversion is more than 100 ha which requires site inspection from Regional Office, MoEF&CC as per guidelines of FCA 1980.	वन संरक्षक, (केन्द्रीय), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा दिनांक २० व २१.०३.२०१८ को प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	There exists a rounding off error in totaling extent of village wise forest area at B 2.3 in Part-I	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट-१ के बी २.३ को संशोधित कर दिया गया है।
3	As per GIS DSS analysis of proposed forest land for diversion, following issues need rectification: a) The area of proposed forest Diversion in 56.52 ha. Whereas the proposal is submitted for 65.495ha. Either Kml files are erroneous or calculation of area is incorrect. b) Overlay of kml files of proposed Forest land diversion on Google Earth image shows lateral shift.	a) संशोधित कौ०एल०एल० & DGPS Maps संलग्न है व ऑनलाइन भी अपलोड कर दी गयी है। b) KML files संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
4	Benefit Cost analysis of the proposal is not as per latest guidelines of MoEF&CC. This needs revision.	यूजर एजेन्सी द्वारा नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार Cost Benefit analysis तैयार कर किये गये हैं जो प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या २४ से ४६ तक संलग्न हैं।
5	in land schedule prepared for forest land calculation, one additional column for balance available width of PF after deducting for proposed width for diversion shall be provided.	यूजर एजेन्सी का शपथ पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है, जो कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा त्रुटियों के निवारण हेतु मान्य है।
6	As per GIS DSS Analysis of proposed Compensatory afforestation following issues need rectification a. Uploaded Kml files for CA at 13 (i) -3&4 are not accessible and showing error. b. The Extent of CA proposal suitable for plantation is 128 ha only. One 4 ha patch is a water body An Attentional patch of extent	a) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कौ०एल०एल० फाइल संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है। b) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या २०/ए से २०/बी तक संलग्न है।

	more than 3 ha. is needed to meet the short fall.	
7	<p>Site Inspection Report of DFO Mentions translocation of 201 number of Ficus Trees.</p> <p>a) A detailed estimate along with suitable location for translocation shall be submitted by the concerned division.</p> <p>b) Undertaking from user agency is needed to fund the proposal .</p> <p>c) State Government shall specifically recommend this additional proposal.</p>	<p>a) सम्बंधित परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।</p> <p>b) यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अन्डरटैकिंग की मूल प्रतियां संलग्न है।</p> <p>c) कार्यवाही उम्प्रो सरकार द्वारा किया जाना है।</p>

अतः संशोधित प्रस्ताव में 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक ३१८) / १४-१, समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

2.— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

3— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 31 एवं 32, झीम सिटी कॉलोनी, (बाल जीवन घुट्टी के सामने), जी०टी० रोड़, सारसौल, अलीगढ़।

(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।